

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक/

/2020-21

दिनांक 05 दिसम्बर, 2020

नियुक्ति आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामसरण भीरवा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6687/2020 सुबेदार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.08.2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1125/68-5-2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-1191(1)/68-5-2020 दिनांक 06.10.2020 के क्रम में 60000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 31277 अभ्यर्थियों हेतु नियुक्ति की कार्यवाही की गयी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामसरण भीरवा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6687/2020 सुबेदार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 एवं शासनादेश संख्या-1569/68-5-2020-17/2020 दिनांक 24 नवम्बर, 2020 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्रांक बे०सि०५०/14101-14275/2020-21 दिनांक 28.11.2020 के अनुपालन में उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संघास्तित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 60000 पदों के रिक्तियों के सापेक्ष 36590 पदों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के उपरान्त विधिवत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अध्यापक के पद पर वेतन बैंड-2 रु० 2300-34800 (ग्रेड वेतन 4200) लेवल-6 में एक वर्ष के परिचिक्षा काल पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग/श्रेणी	विशेष आरक्षण	निवास का पता
01	02	03	04	05	06	07	08	09
513	1600040863	ARCHANA DEVI	VIJAY SINGH	1991-09-15	F	SC	-	ग्राम-कहरामपुर, पो-आकिम, थाना-बिस्फी, जिला-कानपुर नगर

यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन एवं काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्रों यथा-शैक्षिक/प्रशिक्षण सम्बन्धी उपाधियां/अध्यापक पात्रता परीक्षा/सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 प्रमाण-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/विकलांग प्रमाण-पत्र/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जौधोपरान्त कूटरेखित/फर्जी पाये जाते हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा। सम्बन्धित अभ्यर्थी अपना योगदान 07 दिवस के भीतर नियुक्ति पत्र निर्गमन की तिथि से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर देगे जिनके विद्यालय आवंटन के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी।

(ओम प्रकाश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
महाराजगंज।

पू०सं०/ 4935-6148 /2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2-जिलाधिकारी जनपद-महाराजगंज।

3-शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, निशातगंज, लखनऊ।

4-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

5-सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।

6-मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-महाराजगंज।

7-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जनपद-महाराजगंज।

8-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

9-सम्बन्धित सदस्य, जनपदीय चयन समिति, जनपद-महाराजगंज।

10-वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जनपद-महाराजगंज।

11-सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय से प्रेषित कि वे अन्यत्र कहीं कार्यरत होने की दशा में सम्बन्धित नियोक्ताधिकारी से कार्यनियुक्ति प्रमाणपत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राप्त करावेंगे।

12-नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के 07 दिवस के भीतर मुख्य विक्तिसाधिकारी महाराजगंज द्वारा निर्गत स्वास्त्य प्रमाण पत्र योगदान के समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज कार्यालय में प्राप्त करावेंगे।

(ओम प्रकाश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
महाराजगंज।

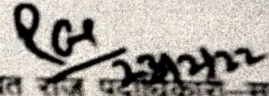
अनुरूपी-03(नियुक्त पत्र)

कार्यालय-प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी-सह-कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, प्रखण्ड शिक्षक नियोजन इकाई नुआँव(कैमूर)
कार्यालय आदेश

विहार राजस्व प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) एवं विहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली-2012 (यथा संशोधित) के आधीक में वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विद्यमान पदों के विरुद्ध प्राथमिक/मध्य विद्यालय के (स्नातक पेट) शिक्षक के रूप में विनियमित सूची में प्रविष्ट अभ्यर्थियों का संयम नियुक्ति हेतु किया गया है। शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपचारिक होगी।
 अतः विनियमित सूची में अंकित अभ्यर्थी, यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो 30 दिनों के अन्दर 1 सप्ताह में अधिकतम पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति नहीं होगी।

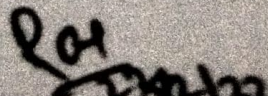
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	फैसल सूची क्रमांक	आरक्षण कोटी	जन्म तिथि	पेट/स्नातक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	कुमारी सुप्रिया (महिला)	श्रीकान्त पाण्डेय	ग्राम-जगदीनपुर पोस्ट-दुर्गावती, थाना-दुर्गावती, जिला-कैमूर	119/297	EWS (F)	23.08.1992	स्नातक पेट (हिन्दी)	राजकीय इन्फैन्ट्री विद्यालय, कारीयान, अंचल-नुआँव

- संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र BETET/CTET Result Card की स्वअभिप्रेक्षित छायाप्रति प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रधानाध्यापक आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र विहित प्रपत्र में विहित प्रपत्र प्रारूप (संलग्न) प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेंगे।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को असीनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- प्रमाणपत्र जाली/अनृत्यपन/गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र का सत्यापन करने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत करेंगे।
- उक्त नियमावली एवं समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा-शर्त संबंधित नवनिर्भुक्त शिक्षकों को प्रभावी होगा।


 प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी-सदस्य सचिव
 (प्रशिक्षण निदेश) नुआँव।

ज्ञापक VIII-01/2022-54/दिनांक 22-2-22

- प्रतिलिपि - संबंधित नवनिर्भुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि - संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनिर्भुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधोहरताक्षरी कार्यालय एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें।
 प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी नुआँव को सूचनार्थ प्रेषित।
 जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति सूचना को जिले के NIC के Website पर Upload करना चाहेंगे।


 प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी-सदस्य सचिव
 (प्रशिक्षण निदेश) नुआँव।

M.Ed. 2018-21

Placement

3:46 PM

0.0KB/s



37



You

16/12/2021, 2:50 pm



कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज

पत्राक/जि0बे0शि0/नियु0/69000(दिलीप चरण)/9103-9141/2020-21 दिनांक 12 दिसम्बर, 20

नियुक्ति आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पंजीत विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6681/2020 सुबेदार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1125/08-5-2020 दिनांक 24 सितम्बर, 2020 एवं संख्या-1191(1)/68-5-2020 दिनांक 06.10.2020 के तम में 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में 31277 अभ्यर्थियों हेतु नि-हावेदारी की गयी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पंजीत विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6681/2020 सुबेदार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18 एवं शासनादेश संख्या-1569/68-5-2020-17/2020 दिनांक 24 नवम्बर, 2020 तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयाग पत्राक/जि0बे0शि0/नियु0/14101-14275/2020-21 दिनांक 28.11.2020 के अनुपालन में उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रारम्भिक विद्यालयी में 69000 पदों के रिक्तियों के सापेक्ष 26590 पदों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 के प्रावधानानुसार गठित नयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के उपरान्त विधिवत कार्यमात्र ग्रहण करने की दृष्टि से उक्त पद पर वेतन वेतन 2 रू० 9300-34500 (ग्रुड वेतन 4200) लेवल-6 में एक वर्ष के परीक्षा काल पर अस्था-निकारी है।

नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि (DD/MM/YY)	लिंग	वर्ग/श्रेणी	विशेष आस्थापन	निवास का पता
03	04	05	06	07	08	09
3100210521	PREETI PANDEY	RAKESH PANDEY	1993.08.02	F	GENERAL	उ०प्र०/17वू/ वाघमदरी गन्दी नगर जल्लेहपुर कासगंज जिला प्रयागराज, पिन-

यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन एवं कार्यनिर्वाह के समय प्रस्तुत किये गये प्र-माण/प्रतिष्ठापन सम्बन्धी उपपत्तियाँ/अध्यापक पात्रता परीक्षा/सहायक अध्यापक स्वीकृति परीक्षा-2018 प्रमाण-पत्र/अति प्रमाण-पत्र/विकास प्रमाण पत्र/गुणवत्ता सैनिक (गवर्न)/वर्तमान संग्राम सेनानी पंक्ति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जो-अभ्यर्थी अपने पास रखे हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यालय कार्यवाही की जायेगी तथा नियुक्ति पत्र निर्रत होने की तिथि से-निरस्त मानी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा। सम्बन्धित अभ्यर्थी अपना योगदान 07 दिवस-प्रति पत्र निर्गमन की तिथि से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर तम जिनके विद्यालय आवेदन के सम्बन्ध में पुष्टक स-जायेगी।

(अजली अग्रवाल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज।

पु०प्र० व दिनांक उक्तवत।

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शासनादेशक स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार;
- 2- जिलाधिकारी कासगंज।
- 3- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, निशादगंज, लखनऊ।
- 4- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 5- सचिव, परीक्षा विभाग, प्रयाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।

प्रार्थना, जिला शिक्षा एवं प्रतिष्ठान, संस्थान, हरन-पुस्तकालय एवं कासगंज।

यह आदेश जिला शिक्षा निदेशक (बेसिक), अजली अग्रवाल।

अभ्यर्थित अभ्यर्थी को सूचना के लिए, जिनके में कार्यमात्र सम्पन्न करने की पूर्ण प्रमाण कार्यवाही।

अभ्यर्थी को सूचना के लिए, जिनके में कार्यमात्र सम्पन्न करने की पूर्ण प्रमाण कार्यवाही।

अभ्यर्थी को सूचना के लिए, जिनके में कार्यमात्र सम्पन्न करने की पूर्ण प्रमाण कार्यवाही।

अभ्यर्थी को सूचना के लिए, जिनके में कार्यमात्र सम्पन्न करने की पूर्ण प्रमाण कार्यवाही।

अभ्यर्थी को सूचना के लिए, जिनके में कार्यमात्र सम्पन्न करने की पूर्ण प्रमाण कार्यवाही।

अभ्यर्थी को सूचना के लिए, जिनके में कार्यमात्र सम्पन्न करने की पूर्ण प्रमाण कार्यवाही।

अभ्यर्थी को सूचना के लिए, जिनके में कार्यमात्र सम्पन्न करने की पूर्ण प्रमाण कार्यवाही।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

2020/12/12 14:31

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात

पत्रांक: बे०शि०/६९००० नियुक्ति/

/2021-22 दिनांक - 23-7-2021

- नियुक्ति आदेश -

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं० 11198/2020 राम शरण मोर्य व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य एवं विशेष अनुज्ञा याचिका सं० 6687/2020 सुवेदार सिंह व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2020 के क्रम में 69000 सहायक अध्यापक मर्ती प्रक्रिया के पदों पर शासनादेश संख्या 1581 (1)/68-5-2020 दिनांक 06.10.2020 एवं परिषद के पत्रांक बे०शि०प०/१६०१-११३१/2020-21 दिनांक 11.10.2020 के अनुपालन में प्रथम चरण में 31277 एवं शासनादेश सं० 1589/68-5-2020-17/2020 दिनांक 24 नवम्बर 2020 एवं परिषद के पत्रांक बे०शि०प०/14101-14275/2020-21 दिनांक 28.11.2020 के अनुपालन में द्वितीय चरण में 36580 अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की गयी थी।

शासनादेश सं० 456/68-5-2021-17/2020 दिनांक 17.05.2021 एवं परिषद के पत्रांक बे०शि०प०/1077-11022/2021-22 दिनांक 26.05.2021 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियामक बोर्ड (अद्यतन यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार गठित चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के उपरान्त विधिवत कार्यवाही करने की तिथि से सहायक अध्यापक के पद पर वेतन बैंड-2 रु० 9300-34800 (ग्रेड वेतन 4200) लेवल-8 में एक वर्ष के परिशिक्षा काल पर अस्थाई रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्न तालिका में अंकित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रम सं०	रजिस्ट्रेशन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	श्रेणी/ जाति	विशेष आरक्षण	स्थायी निवास का पता कना के नाम सहित	अक्षर संख्या	पिन कोड	कटर अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1600162738	PREETI DEVI	SUREN SINGH BHADOURIA	1985-03-15	-	GEN	-	304 CHAKRAPUR CHAKRAPUR, KANPUR NAGAR	2083281302	2083281302	

यह नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण (काउन्सिलिंग) के समय प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षणिक अभिलेख, सहायक अध्यापक मर्ती परीक्षा-2019 का प्रमाण पत्र, अध्यापक पत्रांता परीक्षा, आरक्षण/विशेष आरक्षण से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र सत्यापनोपरान्त गलत/फर्जी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा नियुक्ति प्रारम्भ से शून्य माना जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

यह नियुक्ति 69000 सहायक अध्यापक मर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले आदेश के अधीन होगी।

(सुनील दत्त)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
कानपुर देहात।

पत्रांक: बे०शि०/६९००० नियुक्ति/2730-44 /2021-22 दिनांक - 23-7-2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
4. सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
5. सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
6. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कानपुर देहात।
7. वित्त निबंधक बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुखराया, कानपुर देहात।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मण्डल, कानपुर।
10. सम्बन्धित सदस्य जनपदीय चयन समिति, कानपुर देहात।
11. वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, कानपुर देहात।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात।
13. यूनिट इन्चार्ज कन्ट्रोल समग्र शिक्षा।
14. यूनिट इन्चार्ज, एमआईएस, समग्र शिक्षा।
15. सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर लखनऊ कानपुर देहात के मुख्य विधिकार्यालय द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव जनपदीय चयन समिति को प्राप्त करावे।

Bacchi Devi

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात।



Laxmi Devi

Designation : Assistant Professor

Father's Name : Mahendra Pal Singh

Mob. : +91 7860828911, 8840305743

Address : Village and post- deegh
Distt-fatehpur Pin-212635

Principal Sign.